भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग

<u>प्रेस नोट संख्या 6 (2012 श्रृंखला)</u>

विषय: नागरिक उड्डयन क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी नीति की समीक्षा।

1.0 <u>वर्तमान स्थिति :</u>

1.1 हवाई परिवहन सेवाओं से संबंधित 10 अप्रैल, 2012 से लागू '2012 का परिपत्र -1- समेकित एफडीआई नीति' के पैराग्राफ 6.2.9.3 को वर्तमान में निम्नानुसार पढ़ा जाता है:

6.2.9.3	**हवाई परिवहन सेवाएं**		
	(क) हवाई परिवहन सेवाओं में घरेलू अनुसूचित यात्री एयरलाइन; गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाएं, हैलिकॉप्टर और सीप्लेन सेवाएं शामिल हैं । (ख) किसी भी विदेशी एयर लाइन को कार्गो एयरलाइन को छोड़कर प्रचालन में लगी अनुसूचित और गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाओं की वायु परिवहन उपक्रम इक्विटी में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से सहभागिता करने की अनुमति नहीं होगी । (ग) विदेशी एयरलाइनों को कार्गो एयरलाइन, हैलिकॉप्टर और सीप्लेन सेवाओं के प्रचालन में लगी कंपनियों की इक्विटी में सहभागिता की अनुमति होगी ।		
	(1) अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा/ अनुसूचित घरेलू यात्री हवाई सेवा	49% एफडीआई (एनआरआई हेतु 100%)	स्वत: अनुमोदन मार्ग से
	(2) गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा	74% एफडीआई (एनआरआई हेतु 100%	49% तक स्वत: अनुमोदन मार्ग से 49% से 74% तक सरकारी अनुमोदन मार्ग से
	(3) हेलिकॉप्टर सेवाएं/सीप्लेन सेवाओं जिनके लिए डीजीसीए के अनुमोदन की अपेक्षा होती है	100%	स्वत: अनुमोदन मार्ग से

2.0 **<u>संशोधित स्थिति:</u>**

2.1 भारत सरकार ने इस संबंध में स्थिति की समीक्षा की तथा विदेशी एयर लाइनों को भी अनुसूचित और गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाएं चलाने वाली भारतीय कंपनियों की पूंजी में उनकी प्रदत्त पूंजी के 49 प्रतिशत तक निवेश करने की अनुमति देने का निर्णय किया है।

2.2 ऐसा निवेश निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा:

(i) यह सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत किए जाएंगे।

(ii) 49 प्रतिशत की सीमा में एफडीआई और एफआईआई निवेश शामिल होंगे।

(iii) इस प्रकार किए गए निवेश सेबी के संगत विनियमों जैसे पूंजी निर्गम तथा प्रगटीकरण अपेक्षा (आईसीडीआर) संबंधी विनियम/शेयरों का पर्याप्त अर्जन एवं अधिग्रहण (एसएएसटी) विनियम तथा अन्य लागू नियमों और विनियमों के अनुसार होने चाहिए।

(iv) अनुसूचित ऑपरेटर का परमिट केवल ऐसी कंपनी को दिया जा सकता है:

(क) जो भारत में पंजीकृत हो और जिसका कारोबार का केंद्र भारत के भीतर हो

(ख) जिसका अध्यक्ष और निदेशकों की कम से कम दो-तिहाई संख्या भारत की नागरिक हो तथा

(ग) जिसका पर्याप्त स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण भारतीय नागरिकों के हाथ में हो

(ii) इस प्रकार के निवेश के फलस्वरूप भारतीय अनुसूचित और गैर-अनुसूचित वायु सेवाओं से जुड़ने की संभावना वाले सभी विदेशी नागरिकों की तैनाती से पूर्व सुरक्षा दृष्टि से जांच होनी चाहिए; और

(iii) इस प्रकार के निवेश के फलस्वरूप भारत में आयात किए जाने वाले समस्त तकनीकी उपकरणों के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय में संबंधित प्राधिकरण से मंजूरी लेने की आवश्यकता होगी।

2.3 उपर्युक्त संशोधित नीति एयर इंडिया पर लागू नहीं है।